Man India The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 565] No. 565]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2003/आषाढ़ 4, 1925 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2003/ASADHA 4, 1925

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2003

का.आ. 727(अ). — केन्द्रीय सरकार, कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 95 (अ), तारीख 8 फरवरी, 1983 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों को 26 जून, 2003 से ही उन दरों के रूप में नियत करती है, जिन पर उक्त धारा में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के कोयला पर उद्ग्रहीत किया जाएगा, अर्थात :—

सारणी

कोयला का वर्णन	प्रति टन उत्पाद शुल्क की दर
(1)	(2)
कोककारी/गैर-कोककारी कोयला	10.00 रुपए (केवल दस रुपए)

[फा. सं.22020/1/2003-सीआरसी] ए.पी.वी.एन.शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2003

S.O. 727(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Energy (Department of Coal) number S.O. 95(E), dated the 8th February, 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby fixes, with effect on and from the 26th June, 2003 the rates specified in column (2) of the Table given below as the rates at which the duty of excise referred to in the said section shall be levied on coal of the description specified in column (1) of the said Table namely:—

TABLE

Description of coal	Rate of excise duty per tonne
(1)	(2)
Coking/non-coking coal	Rs. 10.00 (Rupees ten only)

[F. No. 22020/1/2003-CRC] A.P.V. N. SARMA, Jt. Secy.

1766 G1/2003